कार्यालय नगर विकास न्यास अलवर

प्रशासन शहरो के संग अभियान शहर-2021
नियमन हेतु आवश्यक दस्तावेज

1.	आवेदन फार्म	100/-रु0
2.	क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र (आवासीय हेतु)	100/-रु0 के स्टाम्प पर
3.	स्वघोषणा पत्र	50/-रु0 के स्टाम्प पर

4. भूखण्ड के तीन नक्शे ब्लू प्रिन्ट
5. मिलान क्षेत्रफल
6. जमाबन्दी हाल जिसमे 90क के नोट के साथ खातेदार का नाम अंकित हो
7. भूखण्ड का फोटो मय चारदीवारी मालिक का नाम, खसरा नं0, भूखण्ड सं0, ग्राम का नाम अंकित कर स्वयं के द्वारा खडे होकर।
8. स्वामित्व दस्तावेजा बयनामा/इकरारनामा चैन प्रक्रिया पूर्ण
9. आधार कार्ड अथवा अन्य पहचान संबंधित दस्तावेज।

नोट :- आवेदनकर्ता अपनी पत्रावली में आवेदन फार्म, शपथ पत्र इत्यादि में समस्त कॉलमो की पूर्ति एवं दस्तावेजों को स्वः प्रमाणित आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करें, यदि पत्रावली अपूर्ण पाई जाती है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जावेंगा।

आवेदक ऑनलाईन द्वारा निम्न प्रकार से अपनी SSO ID से www.udh.in/shahar 2021 पर आवेदक स्वयं अथवा नगर मित्र/ई-मित्र के सहयोग से आवेदन कर सकता है।

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांक :–

दिनांक :–

सार्वजनिक सूचना

(प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 शिविर कार्यक्रम)

दिनांक 08.नवम्बर 2021 से अलवर शहर के विभिन्न स्थानों पर प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कार्यक्रम निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	दिनांक	ग्राम का नाम	शिविर का स्थान
1.	08,09,10,11,12,13 नवम्बर 2021	बल्लाबोडा, बहरोड रोड से तर्फ पूर्व, पश्चिम का क्षेत्र जिसमें राजस्व ग्राम नंगला समावदी, नंगला रायसीस, धोलीदूब आदि। तिजारा रोड तर्फ पूर्व, पश्चिम, प्रताप नगर, साहब जोहडा क्षेत्र को शामिल करते हुए, धोबीघट्टा से आर्ट्स कॉलेज व अलवर देहली रेलवे लाईन के मध्य स्थित राजस्व ग्राम अलवर नं0 1 का समस्त क्षेत्र।	सामुदायिक भवन बुद्ध विहार
2.	16,17,18 नवम्बर 2021	तर्फ उत्तर को अलवर मथुरा रेवले लाईन, तर्फ पूर्व को 200 फुट, अलवर भिवाडी बाईपास, तर्फ पश्चिम को अलवर देहली रेलवे लाईन, तर्फ दक्षिण को अलवर देहली रोड (हनुमान चौराहे तक) के मध्य स्थित राजस्व ग्राम मुंगस्का, दाउदपुर, खुदनपुरी, अलवर नं0 1, किटोडा, तुलेडा के मध्य स्थित समस्त क्षेत्र।	सामुदायिक भवन रणजीत नगर
3.	20 एवं 22 नवम्बर 2021	तर्फ पश्चिम अलवर भिवाडी 200 फुट बाईपास तर्फ उत्तर व पूर्व को मास्टर प्लान में प्रस्तावित 200 फुट रोड, तर्फ दक्षिण में अलवर देहली रोड (हनुमान चौराहा) से बख्तल की चौकी के मध्य का क्षेत्र जिसमें राजस्व ग्राम खुदनपुरी, दिवाकरी, बेलाका, मुंगस्का, तुलेडा, मन्नाका के क्षेत्र।	सामुदायिक भवन सूर्य नगर
4.	23, 24, 25 नवम्बर 2021	तर्फ पूर्व व दक्षिण को अलवर राजगढ भिवाडी बाईपास (हनुमान चौराहे से भूगोर तिराहे तक) तर्फ उत्तर को हनुमान चौराहे से अलवर देहली रेलवे लाईन तक, तर्फ पश्चिम में भूगोर तिराहे से मोती डूँगरी होते हुए भगत सिंह सर्किल तक का मध्य क्षेत्र, जिसमें राजस्व ग्राम नंगलीकोता, मुंगस्का, देवखेडा, सामोला, भूगोर, सोनावा, अलवर नं0 2 के क्षेत्र।	सामुदायिक भवन मालवीय नगर
5.	26, 27 एवं 29 नवम्बर 2021	तर्फ पश्चिम हनुमान चौराहे से अलवर राजगढ रोड, हनुमान चौराहे से अलवर देहली रोड पर नगरीय सीमा तक के दक्षिण का समस्त क्षेत्र जिसमें राजस्व ग्राम भूगोर, सामोला, बेलाका, बेरका, मुंगस्का का क्षेत्र।	सामुदायिक भवन अम्बेडकर नगर
6.	02, 03, 04 दिसम्बर 2021	तर्फ पूर्व भगतसिंह सर्किल से कटी घाटी, तर्फ दक्षिण ग्राम लिवारी, भाखेडा के राजस्व ग्राम, तर्फ उत्तर को हनुमान चौराहे से प्रताप बंध, तर्फ पश्चिम प्रताप बंध से ढाई पेढी तक के मध्य का न्यास क्षेत्र जिसमें राजस्व ग्राम अलवर नं0 2, भाखेडा, लिवारी, सोनावा, खोहरा आदि।	सामुदायिक भवन काला कुंआ

1. शिविर के दौरान किए जाने वाले कार्य :– नियमन पट्टा, नाम परिवर्तन, उपविभाजन/पुनर्गठन, खांचा भूमि आवंटन, भवन निर्माण स्वीकृति, जारी लीज होल्ड पट्टा विलेखों को फ्री होल्ड में परिवर्तित करना, भू–उपयोग परिवर्तन, बकाया लीज राशि जमा करना, रोड कटिंग जारी करना, लीज डीड जारी करना।
2. दिनांक 17.06.1999 से पूर्व एवं 17.06.1999 के पश्चात बसी कॉलोनियों, जिनका ले–आउट प्लान एवं 90ख/90क की कार्यवाही हो चुकी है, उनकी सूची शिविर स्थल व न्यास नीलामी परिसर में देखी जा सकती है। नियमन पट्टा जारी करने हेतु अपंजीकृत इकरारनामों की कट ऑफ डेट दिनांक 31.12.2018 निर्धारित की गई है। अतः नियमन हेतु 31.12.2018 तक के इकरारनामों पर ही नियमन पट्टों की कार्यवाही की जावेगी।
3. शिविर के दौरान विभिन्न आवेदन प्राप्ति का समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक का रहेगा।
4. नियमन पट्टा आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज :– आवेदन फार्म, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आवासीय हेतु (निर्धारित स्टाम्प पर), घोषणा पत्र (निर्धारित स्टाम्प पर), भूखण्ड के तीन नक्शे ब्ल्यू प्रिन्ट, मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी हाल जिसमें 90क के नोट के साथ खातेदार का नाम अंकित हो, भूखण्ड का फोटो (मय चार दिवारी मालिक का नाम, खसरा नम्बर, भूखण्ड संख्या, ग्राम का नाम अंकित कर स्वयं के द्वारा खडे होकर), स्वामित्व दस्तावेज बयनामा/इकरारनामा चैन प्रक्रिया पूर्ण, आधार कार्ड अथवा पहचान संबंधी दस्तावेज।
5. आवेदन ऑन लाईन माध्यम से आवेदक स्वयं अपनी एस.एस.ओ. आईडी के द्वारा अथवा नगर मित्र, ई–मित्र आदि के सहयोग से कर सकता है। जिसका लिंक विभागीय बेबसाईट UDH JAIPUR. IN पर निम्न है : https://shahar2021.rajasthan.gov.in/
6. शिविर के दौरान ऑफलाईन आवेदन भी किया जा सकता है जिसका प्रक्रिया के दौरान आवेदक द्वारा आवेदन की ऑन लाईन पूर्ति करनी होगी।

Sd

सचिव

नगर विकास न्यास, अलवर

दिनांक :–03/11/21

क्रमांक :– 12171/21

प्रतिलिपि :–

1. वरिष्ठ लेखाधिकारी नगर विकास न्यास अलवर को भेजकर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना को राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करावे।

सचिव

नगर विकास न्यास, अलवर